P-2

कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ

फारम–VIII – क

भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम (B M) Apurva

उपविधि संख्या– 8(1)

आप के आवेदन संख्या– 486/20-21 तिथि– 10-2-21 के संदर्भ में श्रीमति/श्री Arvind Ku ____ के लिए

(क) [redacted] भवन के निर्माण
(ख) भवन के पुनर्निर्माण
(ग) भवन के परिवर्तन
(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

Purnea नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित ____ विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के ____ प्लॉट नं० (सी०एस०) ____ प्लॉट नं० (एम०एस०पी०) ____ खाता नं० 784 होल्डिंग नं० 705 गाँव Purnea मोहल्ला Pradhan Road नं० 4 के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :–

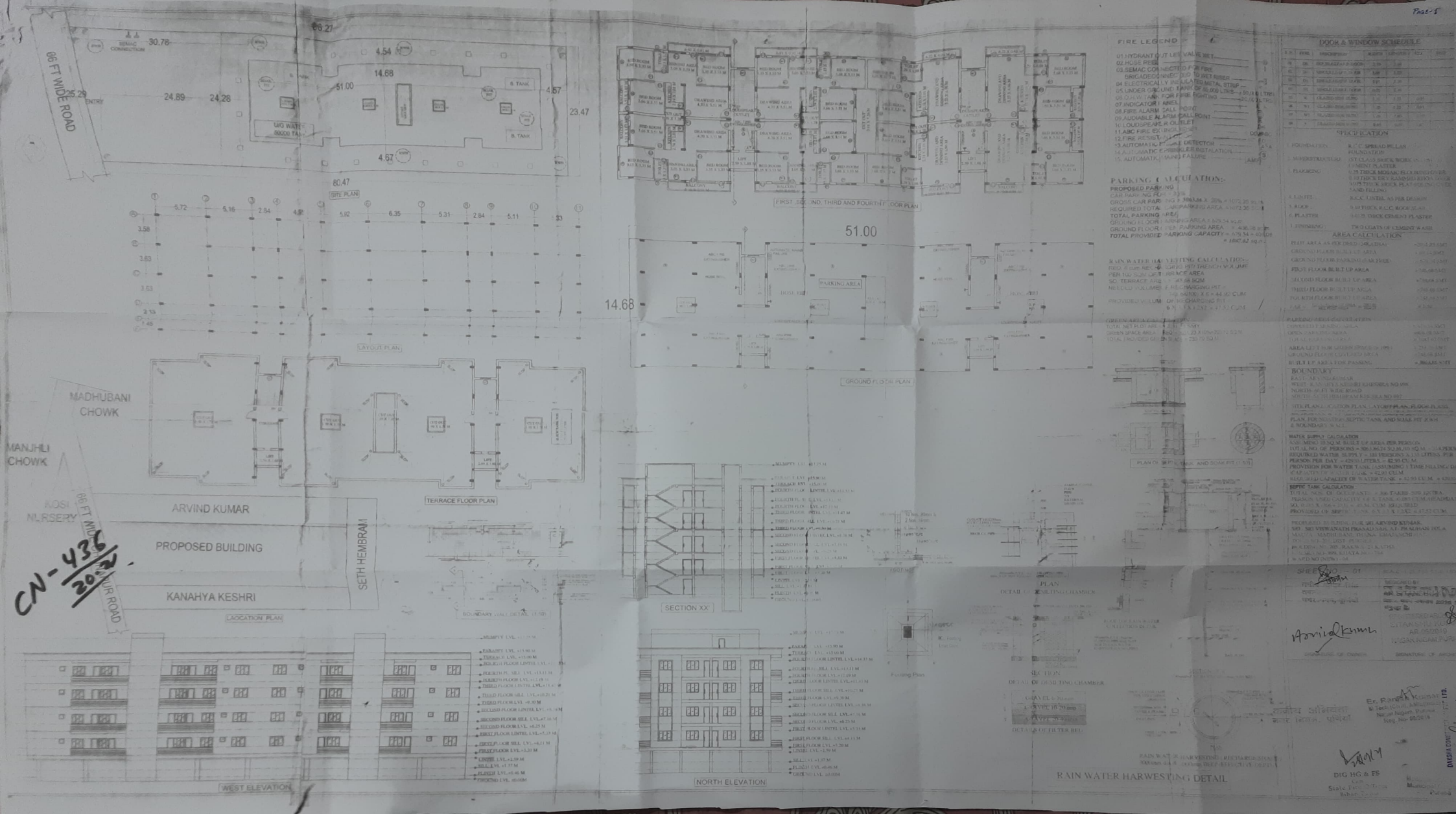
(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से Residential योजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 108.08 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
(घ) पूर्णांकित निर्माण वाली भूमि 20.11 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ Purnea नगर निगमों/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 1.5 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी कए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
(ज) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
कोई अन्य शर्त

22/2/2021

मानचित्रकार प्रमुख
प्राधिकृत पदाधिकारी/प्राधिकार
नगर निगम, पूर्णियाँ

भवन उपविधि, 2014

DAKSHA CONSTRUCTION PVT. LTD.
Arvind kumar
Director



CN-436/2020-21